ہے - کیوں خواہ مخواہ الجھتے ہیں - میں تو آپ سے اتنی درخواست کروں گا کہ آپنے کافی کہہ دیا ہے - اب اسکو آگے مت بڑھائیے ورنہ یہ سلسلہ چلیگا - آپکی مرضی ہے - ... "مداخلت" ...]

प्रो॰ सैफुद्दीन सोज: मैं कोई बड़ी कंट्रोवर्सी नहीं उठाना चाहता हूं लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं। ...(व्यवधान)

श्री सिकन्दर बख्त: आपके हर लफ्ज के साथ कंट्रोवर्सी खड़ी होती है।

†شری سکندر بخت : آپکے ہر لفظ کے ساتھ کنٹروورسی کھڑی ہوتی ہے -]

प्रो॰ सैफुद्दीन सोज: नहीं, मैंने कोई कंट्रोवर्सी खड़ी नहीं की है।

श्री सिकन्दर बख्त: बड़ी बदकिस्मती है....(व्यवधान)

†شری سکندر بخت : بڑی بدقسمتی ہے - ... "مداخلت" ...]

प्रो॰ सैफुद्दीन सोज: बड़े भाई, आप सुनिए,....(व्यवधान) मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि वहां जो एडवाइजर था यात्रा की ड्यूटी पर उसने वहां के कश्मीरी पुलिस अफसरों की बेइज्जती की, गाली दे दी, हालांकि उनका जुर्म यह था कि उन्होंने यात्रियों को हिफाजत से घरों में पहुंचा दिया था और उस वक्त जो एडवाइजर थे उन्होंने उनको इस काम के लिए गालियां दे दी...(व्यवधान) मैं यह कहना चाहता था कि कश्मीरियों का ह्यूमैनिज्म के लिए कमिटमैंट है। ...(व्यवधान) Kashmiris have a deeper commitment to secularism and humanism. The whole House should rise to pay a tribute to the people of Kashmir. (*Interruptions*) Why don't you rise to the occasion?

SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI: Why should you not rise to the occasion before lecturing us? You are trying to raise an unnecessary controversy.

उपसभापति: आप बैठ जाइये। ....(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र मोहन: चाहे कश्मीरी हो, चाहे हिन्दी हों, हम सब देश के लिए हैं।

†Transliteration in Arabic Script

उपसभापति: एक मिनट बैठिए। .....(व्यवधान) सोज साहब, एक मिनट बैठिए। ....(व्यवधान)

Soz Saheb, one second. (*Interruptions*) Will everybody keep quiet, please? The report is going to be placed on the Table of the House. A few days back Mr. John Fernandes raised the issue on the floor of the House saying that this Committee was constituted after a demand for it was made in Parliament. Report of any Committee which is constituted to enquire into an incident of a similar kind or any other kind should be laid on the Table of the House so that the Members can know what happened there. It would help them to suggest pre-emptive action the Government can take in future. I appreciate your concern as a member from Jammu and Kashmir. I appreciate the work or the support the Kashmiri people had given at that time, but let the report come. It is an inquiry committee report. When it is laid on the Table of the House, we will discuss it. This is for sure, but let the report be placed on the Table of the House. This is a matter of human tragedy for whatever reasons it was caused. At that time we will seriously consider all the points that the Committee raised.

प्रो॰ सैफुद्दीन सोज: मैंने कोई ऐसी बात नहीं की है। ...(व्यवधान)

उपसभापति: ठीक है, मैंने भी अच्छी बात कह दी है।

At least I have said a good thing.

Not only during Amar Nath yatra but even during Vaishnodevi yatra,—people belonging to another community carry *yatris* to the temple. They go there every time. There are not two opinions about it.

PROF. SAIFUDDIN SOZ: Let us preserve the tradition of humanism.

RE: NEED FOR A CENTRAL LEGISLATION FOR AGRICULTURAL WORKERS

श्री नगेन्द्र नाथ ओझा (बिहार): उपसभापति महोदया खेत मजदूरों के लिए केन्द्रीय कानून बनाने का आश्वासन इसी हाउस के अंदर लेबर मिनिस्टर ने पिछले सत्र में दिया था। यह सवाल पिछले सत्र के अंदर उठाया गया था और लेबर मिनिस्टर ने आश्वासन दिया था।

उपसभापति महोदया, उस सत्र के दौरान जब सरकार इस स्थिति में नहीं थी कि इस संबंध में बिल सदन में पेश करे तो भी उस ने लेबर मिनिस्टर के मार्फत यह स्टेटमेंट हाउस के अंदर दिया था कि यह लॉ डिपार्टमेंट में पेंडिंग है और शीघ्र वहां से उपाय कर के संबंधित बिल को तुरंत हाउस के अंदर पेश किया जाएगा। लेकिन इस सत्र के

दौरान भी अभी तक बिल पेश नहीं किया गया है और यह बिल्कुल स्पष्ट लग रहा है कि सरकार कोई इस तरह का केन्द्रीय कानून खेत मजदूर के लिए बनाने के संबंध में बिल लाने नहीं जा रही है। महोदय, जो हाल महिलाओं के लिए लाए जाने वाले बिल का हो रहा है जिस को लेकर कि पिछले सत्र में सदन के अंदर हल्ला हुआ था, उसी तरह से हमारे समाज के सर्वाधिक उपेक्षित तबके के बारे में भी यह सरकार वही रवैया अपना रही है। महोदय, मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि 24 जून को पार्लियामेंट के मेंबर्स सहित विभिन्न पार्टियों के लोग प्रधान मंत्री जी से मिले थे और प्रधान मंत्री जी ने भी आश्वासन दिया था। अखबारों में बात आई थी कि प्रधान मंत्री ने कहा कि " I am with you".

महोदया, हमारे हाउस की माननीय सदस्या कमला सिन्हा जी भी उस डेलिगेशन में थीं। प्रधान मंत्री जी ने जून में आश्वासन दिया, इस हाउस के अंदर लेबर मिनिस्टर ने आश्वासन दिया, पिछले सत्र के दौरान स्टेटमेंट फिर दिया और हम लोग आशा कर रहे थे कि इस सत्र के दौरान यह बिल लाया जाएगा, लेकिन यह बिल नहीं लाया जा रहा है।

उपसभापति महोदया, आजादी की 50वीं वर्षगांठ के मौके पर जब कि 20वीं शताब्दी समाप्त होने वाली है और 21वीं शताब्दी के आगमन पर हम बाल-श्रमिकों की समस्या का रोना रो रहे हैं। महोदया, हमारे देश में ये बाल श्रमिक जोकि 7 करोड़ से अधिक संख्या में हैं, इन का बहुत बड़ा भाग खेत मजदूरों के बच्चों का है। महोदया, 21वीं शताब्दी के शुरू होते-होते और 20वीं शताब्दी के समाप्त होते-होते हम निरक्षरता को दूर करना चाहते है, लेकिन हमारे देश के अंदर जो करोड़ों की संख्या में निरक्षर हैं, उन का बहुत बड़ा भाग खेत मजदूरों के बच्चों में से है। महोदया, हम गरीबी रेखा से लोगों को ऊपर उठाने के लिए और गरीबी उन्मूलन के लिए बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं, लेकिन गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले सब से बड़ी संख्या वाले लोग खेत मजदूरों के बीच में हैं और खेत मजदूरों की आर्थिक दशा सुधारने बाबत् जो केन्द्रीय कानून बनाने का प्रश्न है, उस के तहत अगर उन की आर्थिक दशा सुधरती है तो उस के बीच से बाल श्रमिकों की समस्या का हल निकलेगा। वह गरीबी रेखा से ऊपर उठने में सक्षम होंगे। उन के बीच से बेरोजगारी दूर होगी। निरक्षरता दूर करने का उपाय भी इसी में से निकलेगा और जो एक्सपर्ट कमेटी है, पिछले वर्षों में श्रम मंत्रालय के अधीन जो सब-कमेटी और कमेटियां बनीं, उस ने जो अध्ययन किया तो उस अध्ययन पर आधारित जो उन की रिपोर्ट है कि खेत मजदूरों की आर्थिक और सामाजिक दशा सुधारने के लिए एक व्यापक केन्द्रीय कानून बनाना जरूरी है। इस प्रश्न की इस तरह से अवहेलना यह सरकार भी कर रही है, पिछली सरकार ने भी की।

माननीय उपसभापति महोदया, हम आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि इसी सत्र के दौरान केन्द्रीय कानून बनाने का बिल संसद में पेश हो। अंत में हम यह भी उल्लेख करना चाहते है कि जब लेबर मिनिस्टर ने पिछले सत्र के दौरान इसी हाऊस में अपना स्टेटमेंट दिया था तो उसके बाद ट्रेड यूनियनों के नेतागण उनके आवास पर डेलीगेशन के रूप में मिले थे। उन्होंने वहां कहा था कि लॉ डिपार्टमेंट में यह मामला है, वहां से शीघ्र मंगा रहे हैं और अगले सत्र के दौरान हम इस बिल को पेश करेंगे। फिर भी यह पेश नहीं हो रहा है। क्यों विलंब हो रहा है? यह इस प्रकार का व्यवहार महिलाओं के बिल के बारे में, खेतिहर मजदूरों के बारे में, समाज के उपेक्षित जो हमारे समाज के अंदर हैं उनके बारे में, बिल्कुल उचित नहीं है।

इन्हीं शब्दों के साथ पुन: एक बार हम इस सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। धन्यवाद।....(**व्यवधान**)...

DR. BIPLAB DASGUPTA (West Bengal): We should all associate ourselves with him Madam. *(Interruptions).*

SHRI JIBON ROY (West Bengal): It is a very important matter. *(Interruptions).*

SHRI MD. SALIM (West Bengal): The Minister should assure .... *(Interruptions).*

श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी (उत्तर प्रदेश): मैडम, मैं भी इसमें एसोसिएट करता हूं। पार्लियामेंट के मैम्बर्स की कमेटी में मैं भी सदस्य था। उस कमेटी के सदस्यों को जब बुलाया गया था तो मैं भी वहां था। ....(**व्यवधान**) ... मैडम, बहुत दिनों से यह मांग लंबित है कि खेतिहर मजदूरों के लिए बिल आना चाहिए। हमारा कहना है कि इसको तुरन्त ही यहां लाना चाहिए। ....(**व्यवधान**).... हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जब खुद किसान परिवार से हैं तो यह और भी ज्यादा जरूरी है कि यह बिल तुरन्त पास किया जाए। ....(**व्यवधान**)....

श्रीमती कमला सिन्हा (बिहार): मैडम, खेतिहर मजदूरों की समस्या को देखते हुए यह बिल तुरन्त पारित होना चाहिए। मैं सरकार से निवेदन करना चाहती हूं कि तत्काल इस विधेयक को सदन में लाए और पारित करे। .... (**व्यवधान**)....

श्री नरेन्द्र मोहन (उत्तर प्रदेश) : मैडम, खेतिहर मजदूरों और बंधुआ मजदूरों की समस्या है। ....(**व्यवधान**)...

SHRI JIBON ROY: There is no law ...*(Interruptions)*.

DR. BIPLAB DASGUPTA: It should be done as soon as possible. Priority should be given ...*(Interruptions)*.

THE DEPUTY CHAIRMAN: He has spoken in very great detail. There is nothing more to add except that a law should be enacted. You cannot add anything more.

SHRI RAMACHANDRAN PILLAI (Kerala): We have been raising this issue for so many years. And the Government is also giving us the assurance that they would bring it in the next Session. It is not coming.

SHRI MD. SALIM: There is a general agreement ...*(Interruptions)*.

SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI: There was complete unanimity in the MPs' Committee and the meeting called by the Labour Minister. Why has there been this delay?

THE DEPUTY CHAIRMAN: I agree. There are no two opinions in the House. There are certain laws which have to be enacted and should be enacted in time so that the suffering of the people can be alleviated. If they are delayed, it goes on and on. A majority of our workers are in the most unorganised agriculture sector and nobody listens to them and their voice cannot be heard. Then Members have to raise it. Shri Satish Agarwal.

RE: TOTAL COLLAPSE OF CAPITAL MARKET/STOCK MARKET

SHRI SATISH AGARWAL (Rajasthan): Madam Deputy Chairman, thank you very much for giving me this chance to raise an issue of national importance.

[The Vice-Chairman, (Shri Md. Salim) *in the chair.*]

It is with a sense of disgust an disappointment that I am again raising this issue which we have been raising in this House along with Dr. Ashok Mitra and Mr. Gurudas Das Gupta and many others, regarding the state of stock market and all that. Mr. Vice-Chairman, I will give certain figures to show as to what the real position is because the stock markets reflect the state of the economy. The number of shares listed in the Bombay Stock Exchange is 6,914. The number of regularly traded scrips is nearly 2,000. Out of this 2,000, the number of scrips which are being traded below book value is 1,844; the number of scrips being traded below the par value of Rs. 10/- is 2,992; and the number of scrips being traded below Re. 1/- is 54. So far as mutual funds are concerned, actively traded-54; quoted below net asset value-45; below Rs. 10/- —26. So is the case with finance companies. Now, I come to the GDRs' issue. This Government is claiming that they have permitted many companies to go to GDR route. 62 Indian scrips have been listed in European markets. Now, they are offering discount against domestic price in 17 scrip and discount against issue price in 45 scrips. In 34 cases, the prices have gone down below 50 per cent. The Calcutta Electric Supply Corporation is in poor health. It has lost 90 per cent of its issue price and all that. A.C.C. was a favourite company of Harshad Mehta. During 1992-93, its share was raised by Harshad Mehta and his bulls to Rs. 10,000/-. It has now come down to Rs. 900/-. there are many leasing companies. Everybody knows how the financial institutions like IDBI, IFCI, UTI, entered into an agreement with foreign financial institutions, in collusion with Reliance. Then there was a deal which was a shady deal that way. Inter-corporate deposits are nil. Merchant bankers who are in the rote, guaranteed in 1994-95 40 per cent of category-I, now have not applied for renewal of their licences with the SEBI. Much more scandalous is the non-banking financial companies. We have come to know -- Mr. Salve will bear me out that 27,000 non-banking financial companies exist in this country. Out of 27,000 companies, only 900 are registered with the R.B.I. This is what was told to us. Authoritatively I am saying so. Now, there is a news-item which says that 1000 companies which came out with public issues recently and collected Rs. 5,000 crores from small investors, have totally vanished. These companies are not traceable. Rs. 5,000 crores collected from the small investors in this country by 1,000